

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-प. 8(8)कार्मिक/क-2/2022-01873

जयपुर, दिनांक : 10 JUN 2025

आज्ञा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अन्तर्गत श्री उत्कल रंजन साहू को कार्यभार संभालने की तिथि से अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पद पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. श्री उत्कल रंजन साहू, मा0 अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
12. सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रकाशनार्थ। कृपया सम्बन्धित प्रकाशन की तीन प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

23/2025